

FORM No. III

फर्द अहकाम


(नियम 26)

महानगरपालिका उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

शानतिका नाम राजपती देवी बनाम हंसराज मावलिगा

संख्या मुकदमा दावा मुकदमा नं. 145 सन् 2019

रीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
-5-19	<p>पत्नील वादी श्री हंसराज मावलिगा ने उपस्थित होकर वाद पत्र पेश किया। दावा दर्ज नही हो सका। प्रतिवादी जज नही तलबी करिगे हंसराज श्री जाकर पत्रावली दिनांक 10/5/2019 को पेश हो।</p>	
0 05 / 19	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्नील वादी उपरोक्त वादी एवं प्रतिवादी सं. श्री ओर से राजीनामा पेश हुआ। श्री हंसराज मावलिगा एडो ने वादी की ओर से राजीनामा पेश कर स्वीकार किया तथा प्रतिवादी सं. श्री पहचान श्री नवनील प्रकाश शर्मा एडो ने श्री उपस्थितों को राजीनामा पदकर सुनाया गया जिसे सुन व समझ कर उपस्थित पक्षकारान इकारा रमही होना स्वीकार किया गया। अतः हस्तवकाशिश पक्षकारान राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 2 की तलबी जरिगे सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 15-05-2019 को पेश हो।</p>	<p>राजपती देवी</p>
15 05 / 19	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्नील वादी, प्रतिवादी एवं प्रतिवादी सं. 2 की तालीम सम्पन्न रूप से होकर लौटी है। शकजुप सम्पन्न तालीम प्रतिवादी सं. 2 की ओर से कोई हाजिर अकाल नही आया है। अतः प्रतिवादी सं. 2 के विरुद्ध एडमिशन कार्रवाई अमल में लाई जाती है। प्रकरण में कहेस वकील वादी सुनी गई। दौराने कहेस पत्नील वादी ने मुताबिक राजीनामा दावा डिफ्री किया जाने का निवेदन किया जिसे पर पत्नील प्रतिपक्ष ने सहमति जाहिर की।</p>	



तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर
अहमद
हुकम
में

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व
रेकार्ड, चेन्नानुपा राजीनामा का अवलोकन किया
गया। चूंकि विवादित पक्षकाराने ने कामपत्ती
सहमति से विवादित आराजी बाबत राजीनामा
पेश कर न्यायालय हाजा इगारा तस्दीक
करवा लिया है। अतः वाद, वादी कट्टर
राजीनामा स्वीकार किया जाकर घोषणा
की जाती है कि :-

आदेश

तन ग्राम सुरपुरा परिवार हलका जट्टन्दरा
तहसील जखेला जिला सीकर (राज्) अवस्थित
कृषि भूमि प्लॉट नं० ०८ रकबा ५.५५ है
में वादिमा के नाम दर्ज हिस्सा ६३३/५५५०
में साहित्य देह ज्वातेदार के स्थान पर नेहरो
की दागी तन कामगवास पुस्तक किमा जाकर
प्रतिवादी सं०। के नाम उक्त प्लॉट नं० ०८ में
दर्ज हिस्सा २०८७/५५५० को वादिमा के
नाम दर्ज हिस्सा ६३३/५५५० में सम्मिलित
करते हुए वादिमा की १/२ हिस्सा की ज्वातेदार
काइलकार घोषित किया जाता है तथा
उक्त प्लॉट नं० ०८ के हिस्सा २०८७/५५५०
से प्रतिवादी सं०। का नाम हजफ किया
जाता है। उपलानुसार राजस्व रेकार्ड
में अमल परामंद हो तथा तदनुसार पर्चा
डिक्री मुलीवि हो। पत्रावली फौजदर शुमान होखत
नम्बर से कम हो तथा बाद तहसील
दाखिल दफतर हो।



15/09/2019
जखेला जिला सीकर
जखेला (राज्)

डिक्री मुकदमा इन्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाव्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम जबेला
 व इजलास श्री महीपाल सिंह, RAS
 ① गवापती देवी पत्नी देवराज बनाम ② बहादुर सिंह पुत्र इन्द्रदान व
 दावा बाबत दोषणा व इकतली रेकार्ड

मुकदमा नं. 45 राग 2019

यह मुकदमा आज वास्तो इनाफिसाल कतई रुबरु श्री महीपाल सिंह, RAS
 व हाजिरी श्री इंजराज मावलिप इतिबजानिब मुहुर रुबरु

मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

तन ग्राम सुरपुरा पं ६० खट्टपुरा तहसील जबेला जिला
सीकर (राजपू) अवस्थित कृषि भूमि जॉनं ०४ रकबा
५.५५ हे में बादिगो के नाम पर्ज दिाना 633/5440 में
साइम देह के स्थान पर नैहरी की बगी तन बामगवात

निज मुबलिग बाबत

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद गशरह फीसदी नामाना आज की तारीख से
 तारीख अदायागी तक को अदा करें।

वसत मेरे दस्ताखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह 05 राग 2019



उपखण्ड अधिकारी
जबेला (सीकर)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प तकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इंजराज हुकमनामा		
बाबत इंजराज हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, पर्ज करना चाहिए

✳ जाति जाट निवासी नेहरो की पत्नी तन ग्राम
बामनवास तहसील खंडेला जिला सीकर (राज.)
- (कादिमा)

बनाम

✳ जाति-धारण निवासी सुरपुरा तहसील खंडेला
जिला सीकर (राज.)

② भूमिधारी तहसीलदार खंडेला जिला सीकर (राज.)

- (प्रतिवादीगण)

✳ पुकान्त छिपा जाकर प्रतिवादी सं०। के नाम उक्त
ख० नं० ०४ में दर्ज हिस्सा २०४७/५५५० को कादिमा
के नाम दर्ज हिस्सा ६३३/५५५० में सम्मिलित
करने हुए कादिमा को १/२ हिस्सा की जातेदार
काइलकार घोषित किया जाता है तथा उक्त
ख० नं० ०४ के हिस्सा २०४७/५५५० से प्रतिवादी
सं०। का नाम हजफ किया जाता है। उक्तानुसार
राजस्व रेकार्ड में अमल करामद हो।



15/05/201
उपखण्ड अधिकारी
खंडेला (सीकर)